तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24/01/22	वादिया व्यक्तिगत उप.। वादिया व्यक्तिगत ने प्रार्थना पत्र बजरिए पंजीकृत डाक जरिये विडोज फरमाने का पेश करके से पंचायती ग्राम पेश हुई। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादिया के चाचा आदि के एक एकल खातेदारी भूमि काश्त की है वादीया न्यायालय से वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की इस्तगासा नहीं चाहती है तथा पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो जाने के वादिया अपना उक्त वाद जरिये विड्रोवल खारिज किये जाने की इस्तगासा की है। अतः अधिवक्ता मय वादिया द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद u/s 88, 188 & 92(B) 53 R.T. Act 1955 को जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है पंचायती फैसला शुमार सेल्फ नम्बर से कर दे।

Sd/- Assistant